निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1940 (श0)
(सं0 पटना 917) पटना, मंगलवार, 9 अक्तूबर 2018

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
9 अक्तूबर 2018

एस० ओ० 261, दिनांक 9 अक्तूबर 2018––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथाः–

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) यह दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

‘‘(4**ख)** **जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने-**

(**क**) **ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने** बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 996 **तारीख 23 अक्तूबर**, **2017** द्वारा प्रकाशित वाणिज्य–कर विभाग की **अधिसूचना सं0 40/2017-** राज्य **कर (दर)**, **तारीख 23 अक्तूबर**, **2017 या भारत के राजपत्र**, **असाधारण**, **भाग 2**, **खंड 3**, **उपखंड** (i) **में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ)**, **तारीख 23 अक्तूबर**, **2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0**

41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ; या

(ख) **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया,**

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा ।''।

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया **जाएगा, अर्थात् :--**

''(10) **माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को-**

(क) **ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर** बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 982 दिनांक **18 अक्तूबर, 2017** द्वारा प्रकाशित वाणिज्य—कर विभाग की **अधिसूचना सं0** एस.ओ. 249 दिनांक **18 अक्तूबर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या** बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 996 **तारीख 23 अक्तूबर, 2017** द्वारा प्रकाशित वाणिज्य—कर विभाग की **अधिसूचना सं0 40/2017-** राज्य **कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है ; या**

(ख) **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर,**

2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए ।''।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–3) **3002**)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

9 अक्तूबर 2018

एस० ओ० 261 दिनांक 9 अक्तूबर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–3) **3002**)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 9th October 2018

S.O. 261, Dated 9th October 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. ***Short title and commencement.***— (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall come into force with effect from 9th October, 2018.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Commercial Taxes Department notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 996, dated the 23rd October, 2017, or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or

(b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.”.

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

(a) received supplies on which the benefit of the Commercial Taxes Department, notification S.O.- 249 dated the 18th October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 982, dated the 18th October, 2017, except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 996, dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3)3002)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 917-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in